

बिहार सरकार
ग्रामीण विकास विभाग

संकल्प

संकल्प सं०:- 5939974, पटना, दिनांक :- 17.07.26

ग्रा०वि०-R-504/18/2026-Section-14-RDD-RDD(COM No-606661)

श्री मनोज कुमार (अनुक्रमांक-137758), प्रखंड विकास पदाधिकारी, जाले (दरभंगा) के विरुद्ध जिला पदाधिकारी, दरभंगा के पत्रांक-357 दिनांक-08.07.2026 द्वारा प्राप्त सूचना के अनुसार श्री मनोज कुमार को मिठनपुरा थाना कांड संख्या-191/26, दिनांक-05.07.2026 धारा-80(2) बी०एन०एस० के तहत अपने पत्नी मृत्तिका अमृता कुमारी को प्रताड़ित करने एवं हत्या किये जाने के संबंध में दिनांक-07.07.2026 को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया।

श्री मनोज कुमार बिहार ग्रामीण विकास सेवा संवर्ग के ग्रामीण विकास पदाधिकारी हैं।

श्री मनोज कुमार को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम- 9(2)(क) में निहित प्रावधान के आलोक में कारा निरोध की तिथि 07.07.2026 के प्रभाव से अगले आदेश तक के लिए निलम्बित किया जाता है।

निलम्बन की अवधि में श्री मनोज कुमार को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम- 10 के तहत अनुमान्य जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।

निलम्बन के आदेश पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

(रेणु कुमारी)
विशेष कार्य पदाधिकारी।

ज्ञापांक:- 5939974 / ग्रा०वि० पटना, दिनांक :- 17.07.26

निबंधित/
ई-मेल/
हाथोंहाथ

प्रतिलिपि:- जिला पदाधिकारी, दरभंगा एवं मुजफ्फरपुर/ प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग) विभाग, बिहार, पटना/जिला कोषागार पदाधिकारी, दरभंगा/वरीय पुलिस अधीक्षक, मुजफ्फरपुर/प्रभारी पदाधिकारी, प्रशाखा- 03, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना/ आई०टी० मैनेजर, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना को (विभागीय वेबसाइट पर प्रदर्शित करने हेतु) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

विशेष कार्य पदाधिकारी।

ज्ञापांक:- 5939974 / ग्रा०वि० पटना, दिनांक :- 17.07.26

प्रतिलिपि:- जिला पदाधिकारी, दरभंगा एवं मुजफ्फरपुर को एक अतिरिक्त प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुरोध है कि प्रासंगिक आदेश का तामिला श्री मनोज कुमार को अपने स्तर से कराते हुए तामिला प्रतिवेदन ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

विशेष कार्य पदाधिकारी।